भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 852

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

तिलहन किसानों के हित के लिए आयात शुल्क बढ़ाने की मांग

852 श्री एस. कल्याणसुन्दरमः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सस्ते आयात की वजह से स्थानीय /घरेलू कीमतों पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए, घरेलू तिलहन किसानों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं के हितों की रक्षा हेतु खाद्य / वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने संबंधी उद्योग निकायों की हालिया मांगों की समीक्षा की है;

(ख) उपभोक्ता कीमतों में कमी लाने तथा घरेलू शोधन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमाशुल्क में की गई कटौती सहित हालिया शुल्क समायोजनों का क्या औचित्य है;

(ग) वर्तमान प्रशुल्क संरचना का घरेलू तिलहन उत्पादन, आयातों तथा कीमतों में उतार-चढ़ाव पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार द्वारा उपभोक्ता मूल्य स्थिरता को तिलहन की घरेलू खेती एवं प्रसंस्करण के लिए प्रोत्साहनों के साथ संतुलित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और उपभोक्ताओं के हितों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सरकार समय-समय पर खाद्य तेलों की आयात और निर्यात नीति की समीक्षा करती है। घरेलू मांग और देशज उपलब्धता के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए खाद्य तेलों का आयात किया जाता है।

भारत सरकार ने घरेलू तिलहन की कीमतों को सहायोग प्रदान करने के लिए दिनांक 14 सितंबर, 2024 से विभिन्न खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क में वृद्धि की थी। हालांकि, खाद्य तेल की उपभोक्ता कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई थी, जिससे तेल और वसा श्रेणी में महंगाई में वृद्धि हुई। भारत सरकार ने घरेलू खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों और खाद्य कीमतो की महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मई 2025 से कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क 20% से घटाकर 10% (प्रभावी शुल्क लगभग 16.5%) कर दिया। शुल्क में कमी से कच्चे तेल की उतराई तक की लागत कम हुई, जिससे घरेलू कीमतों को सामान्य रखने में मदद मिली। इस उपाय से कच्चे और परिष्कृत खाद्य तेलों के बीच शुल्क अंतर भी लगभग 8.75% से लगभग 19.25% हो गया, जिससे परिष्कृत उत्पादों की तुलना में कच्चे तेल के आयात को प्रोत्साहन मिला। इस निर्णय का उद्देश्य घरेलू शोधन को बढ़ावा देना, क्षमता उपयोग में सुधार करना, मूल्य स्थिरीकरण करना और देश के भीतर मूल्यवर्धन को मजबूत करना, जबकि पॉम तेल जैसे परिष्कृत तेलों के आयात को निरूत्साहित करना था।

इसके अलावा, सरकार ने घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और देश में खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास करने के लिए दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 को राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन (एनएमईओ-ओएस) को मंजूरी प्रदान की है। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2022-23 में खाद्य तिलहन उत्पादन को 392 लाख टन से बढ़ाकर वर्ष 2030-32 तक 697 लाख टन करना है। साथ ही, इसी अवधि के दौरान तिलहन की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को 290 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 330 लाख हेक्टेयर करना और उत्पादकता को 1,353 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 2,112 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करना भी इसका लक्ष्य है।

*****